अध्याय VIII: पर्यटन मंत्रालय

भारत पर्यटन कार्यालय, फ्रैंकफर्ट

8.1 बिलिंग बेस को जर्मनी में स्थानांतरित करने के कारण सरकारी राजकोष को हानि

पर्यटन मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया अभियान के संबंध में भुगतान करने के लिए बिलिंग बेस को भारत से जर्मनी स्थानांतरित कर दिया। इससे विदेशी मुद्रा की निकासी के अलावा जर्मन कर प्राधिकारियों को वैट के भुगतान के कारण ₹57.16 लाख के सरकारी राजस्व की हानि हुई।

2017-18 में, पर्यटन मंत्रालय (मंत्रालय) ने टेलीविजन, प्रिंट और ऑनलाइन मीडिया में वैश्विक मीडिया अभियान जारी करने के लिए सचिव (पर्यटन) की अध्यक्षता में एक मीडिया समिति द्वारा अनुशंसित अपनी वैश्विक मीडिया योजना को अंतिम रूप दिया। इस योजना में सुझाए गए तरीकों में से एक मंत्रालय को सोशल मीडिया में अपनी दृश्यता बढ़ाने के लिए विदेश में मुख्यालय वाले एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (फर्म) का उपयोग करने की आवश्यकता थी।

2017-18 के लिए वैश्विक मीडिया योजना के हिस्से के रूप में, दृश्यता बढ़ाने, उपभोक्ता जुड़ाव, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मंत्रालय के पृष्ठ के लिए प्रशंसकों की संख्या में वृद्धि करने और एक पसंदीदा पर्यटन स्थल के रूप में भारत में रुचि पैदा करने के लिए लक्षित सूचनात्मक सामग्री देने के लिए, मंत्रालय की मीडिया योजना एजेंसी अर्थात मेसर्स कैरेट मीडिया ने फर्म के साथ ₹10 करोड़ की निवेश योजना का सुझाव दिया।

मंत्रालय के एकीकृत वित्त डिवीजन (आईएफडी) ने इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की और सितंबर 2017 में फर्म के माध्यम से सोशल मीडिया अभियान को जारी करने पर सहमति व्यक्त की। इस अभियान को मंत्रालय की सोशल मीडिया प्रबंधन एजेंसी अर्थात मेसर्स स्टार्क कम्युनिकेशन द्वारा फर्म के साथ समन्वय अनुसार निष्पादित किया जाना था। हालांकि, फर्म ने अपनी सेवाएं प्रदान करने में असमर्थता दिखाई क्योंकि मंत्रालय के पास जीएसटी नंबर नहीं था। मंत्रालय के आइएफडी ने इस मुद्दे का निपटान करने के लिए निम्नलिखित विकल्प का सुझाव दिया (15 जनवरी 2018):

क) मंत्रालय के लिए एक जीएसटी खाता प्राप्त करना, जो उन्हें ऐसे मामलों को बेहतर ढंग से संभालने में सक्षम बनाएगा। इस संबंध में, उन्होंने मंत्रालय के प्रचार और कार्यक्रम डिवीजन से जीएसटी सेल के परामर्श से आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।

ख) वैकल्पिक रूप से, प्रचार और कार्यक्रम डिवीजन भारत में मंत्रालय के किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय, जिसका पहले से ही जीएसटी खाता है या विदेशों में स्थित किसी भी भारत पर्यटन कार्यालय (आईटीओ) के माध्यम से इस अभियान को अंजाम देने की संभावना का पता लगा सकता है।

उपरोक्त के आधार पर, मंत्रालय ने अभियान के लिए आईटीओ, फ्रैंकफर्ट के माध्यम से सीधे भुगतान किए जाने को मंजूरी दी और इसे बिलिंग सत्व के रूप में चिन्हित किया गया (7 *मई* 2018)। अभियान की लक्ष्य तिथि से संबंधित कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था। पहले से पूरी की गई गतिविधियों के आधार पर बनाए गए बीजकों/बिलों के अनुसार फर्म को मासिक आधार पर भुगतान जारी करने पर सहमति हुई थी। लेखापरीक्षा को प्रदान किए गए अभिलेखों के अनुसार, यह अभियान जुलाई 2019 तक जारी रहा, जिसके लिए आईटीओ, फ्रैंकफर्ट ने अक्टूबर 2019 तक फर्म को कुल €884,029.34 (₹7.26 करोड़) की राशि जारी की, जैसा कि **अनुलग्नक-XXXVI** में विस्तृत है। यह भी देखा गया कि फर्म ने आयरलैंड के साथ-साथ जर्मनी में स्थित अपने कार्यालयों से बीजक सृजत किए और आईटीओ, फ्रैंकफर्ट से भुगतान प्राप्त किया।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि*:*

(i) जुलाई 2018 से सितंबर 2019 तक की अवधि के दौरान*,* फर्म ने कुल 15 बीजक सृजित किए, जिनमें से सात इसके जर्मनी कार्यालय से और शेष आठ इसके आयरलैंड कार्यालय से सृजित हुए थे। जर्मनी में सृजित सात बीजकों में फर्म ने जर्मन कर कानूनों के आधार पर 19 *प्रतिशत* की दर से वैट प्रभारित किया*,* जबकि आयरलैंड में सृजित शेष आठ बीजकों में कोई वैट प्रभारित नहीं किया गया। अभिलेख में यह स्पष्ट करने के लिए कोई कारण उपलब्ध नहीं थे कि मंत्रालय/आईटीओ, फ्रैंकफर्ट ने फर्म को वैट प्रभारों (जर्मनी में) के भुगतान से बचने के लिए आयरलैंड से सभी बीजक सृजित करने के लिए क्यों नहीं कहा।

(ii) जीएसटी नंबर प्राप्त करने के प्रयास करने के बजाय मंत्रालय ने आसान रास्ता चुना और बिलिंग बेस को भारत से जर्मनी स्थानांतरित कर दिया और आईटीओ*,* फ्रैंकफर्ट

के जरिए भुगतान किया। यदि मंत्रालय द्वारा स्वयं को जीएसटी के तहत पंजीकृत करने के बाद, भारत में भुगतान किया जाता, तो फर्म द्वारा सृजित बीजकों पर देय कर राशि भारत की समेकित निधि (सीएफआई) में जमा की जाती, जिसके परिणामस्वरूप कर भुगतान के कारण भारत सरकार को कोई समग्र लाभ या हानि नहीं होती। चूंकि मंत्रालय ने बिलिंग बेस को जर्मनी में स्थानांतरित करने का वैकल्पिक तरीका चुना, इसलिए यूरो में भुगतान करने के कारण होने वाले विदेशी मुद्रा की हानि के अलावा जर्मन कर प्राधिकरणों को वैट भुगतान के माध्यम से राजकोष को ₹57.16 लाख की हानि हुई।

(iii) इसके अलावा, मेसर्स स्टार्क कम्युनिकेशन (मंत्रालय की सोशल मीडिया प्रबंधन एजेंसी) को सूचित किए गए सहमत निबंधन और शर्तों (मई 2018) के अनुसार, पूरी की गई गतिविधियों के आधार पर फर्म को भुगतान किया जाना था। हालांकि, आईटीओ, फ्रैंकफर्ट ने पूरी की गई गतिविधियों पर मेसर्स स्टार्क कम्युनिकेशन लिमिटेड/मंत्रालय से किसी भी सत्यापन रिपोर्ट की प्राप्ति के बिना सभी भुगतान जारी किए (₹7.26 करोड़)।

इस प्रकार, मंत्रालय द्वारा खुद को एक डीलर के रूप में जीएसटी के तहत पंजीकृत करने और भारत में परियोजना के लिए बिलिंग आधार रखने की बजाय अपने बिलिंग बेस को आईटीओ, फ्रैंकफर्ट में स्थानांतरित करने के निर्णय के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा की हानि के अलावा राजकोष को ₹57.16 लाख[1] (अर्थात €68,354.19) की हानि हुई।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा (22 अक्टूबर 2020) कि सभी भुगतान उसके अधीनस्थ कार्यालय अर्थात आईटीओ, फ्रैंकफर्ट द्वारा किए गए थे और इसलिए वह भुगतान के निपटान की मॉनिटरिंग नहीं कर सकता था। मंत्रालय ने यह भी सूचना दी कि इसके बाद से उसने जीएसटी नंबर प्राप्त कर लिया था। मंत्रालय ने अपने आगे के उत्तर (4 मार्च 2021) में कहा कि इस योजना को शुरू करने में देरी से बचने के लिए उसने अपने जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया, लेकिन आईटीओ, फ्रैंकफर्ट के माध्यम से अभियान को आगे बढ़ाया।

---

[1] *संबंधित माह के लिए ली गई विनिमय की दर जिसमें वैट का भुगतान किया गया।*

योजना शुरू करने में देरी से बचने के लिए अपना जीएसटी पंजीकरण नहीं प्राप्त करने के बारे में मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) नियमावली, 2017 के नियम 9(1) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक आवेदक को आवेदन जमा करने के तीन दिनों[2] के भीतर पंजीकरण की अनुमति दी जाएगी और जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने के लिए आईएफडी के सुझाव (15 जनवरी 2018) और अभियान के लिए मेसर्स स्टार्क कम्युनिकेशन को कार्य आदेश देने (7 मई 2018) के बीच लगभग चार महीने का पर्याप्त समय अंतर था।। इसलिए, मंत्रालय सीजीएसटी नियमावली, 2017 के तहत उपलब्ध अपने जीएसटी पंजीकरण को तुरंत और तेजी से पूरा करने में विफल रहा था, और इसके बजाय बिलिंग बेस को जर्मनी में स्थानांतरित कर दिया गया था जिसके कारण विदेशी मुद्रा की निकासी के अलावा जर्मन कर प्राधिकारियों को वैट भुगतान के कारण राजकोष को ₹57.16 लाख की हानि हुई थी ।

भारत पर्यटन कार्यालय, न्यूयॉर्क

8.2 भारत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वस्तुओं की अधिप्राप्ति में प्रतिस्पर्धा की कमी

भारत पर्यटन कार्यालय, न्यूयार्क ने प्रिंट प्रोडक्शन योजना के तहत प्रचार मदों की अधिप्राप्ति में उचित सतर्कता नहीं बरती, जिसके परिणामस्वरूप भारत पर्यटन को बढ़ावा देने से संबंधित वस्तुओं की अधिप्राप्ति में पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता की कमी हो गई।

भारत पर्यटन कार्यालय (आईटीओ), न्यूयॉर्क वैश्विक पर्यटन बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और कैरेबियाई द्वीप समूहों के महाद्वीपों में भारत के पर्यटन विकास की आवश्यकताओं को पूरा करता है। आईटीओ, न्यूयार्क योजना बजट में विभिन्न शीर्ष/योजनाओं के तहत प्रचार गतिविधियों को शुरू करता है। 'प्रिंट प्रोडक्शन' योजना के तहत, कार्यालय 'अतुल्य भारत' लोगो के साथ साहित्य, ब्रोशर, समपाश्रवई और अन्य प्रचार वस्तुओं जैसी प्रचार सामग्री की अधिप्राप्ति के माध्यम से प्रचार गतिविधियों को शुरू करता है।

---

[2] *अधिसूचना संख्या 94/2020-केंद्रीय कर दिनांक 22 दिसंबर 2020 के माध्यम से इसे प्रतिस्थापित कर 'सात दिन' किया गया।*

भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा माल की अधिप्राप्ति के लिए नियम निर्धारित किए गए हैं। उक्त नियम 173 में कहा गया है कि सभी सरकारी अधिप्राप्ति पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और निष्पक्ष तरीके से की जानी चाहिए, ताकि पैसे के लिए सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त किया जा सके। इसके अलावा, नियम 175(1)(ग) में कहा गया है कि किसी अधिप्राप्ति इकाई या बोलीदाता का कोई भी अधिकारी संहिताओं का उल्लंघन करते हुए कार्य नहीं करेगा जिसमें कोई मिलीभगत, बोली हेराफेरी या प्रतिस्पर्धा रोधी व्यवहार शामिल है जो पारदर्शिता, निष्पक्षता और अधिप्राप्ति प्रक्रिया की प्रगति को हानि पहुंचा सकता है।

लेखापरीक्षा (नवंबर/दिसंबर 2019) के दौरान, आईटीओ, न्यूयॉर्क द्वारा प्रचार सामग्री की अभिप्राप्ति में निम्नलिखित विसंगतियां देखी गईं:

- प्रचार मदों की अधिप्राप्ति के लिए किसी क्रय समिति का गठन नहीं किया गया। इसके अलावा, रिकॉर्ड में कोई डाक संचार या ईमेल नहीं पाया गया जो यह इंगित कर सकता था कि कंपनियों द्वारा आईटीओ, न्यूयॉर्क को उद्धरण वास्तव में प्रस्तुत किए गए थे। फाइलों में उपलब्ध अधिकांश उद्धरणों में मालिक/एजेंट के उचित हस्ताक्षर नही थे और साथ ही कंपनियों के अधिकांश बीजकों में कर की आईडी नहीं थी। रिकार्ड में ऐसा कुछ भी नहीं था जो यह सुझाव दे सके कि कर घटक सहित बिलों को कार्यालय द्वारा इस तथ्य पर ध्यान देते हुए और कंपनियों की स्थिति का सत्यापन करने के बाद पारित किया गया था।

- न्यूयार्क राज्य, अमरीका में कार्य कर रही कंपनियों/निगमों की प्रमाणिकता का सत्यापन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट (डीओएस), निगम डिवीजन, न्यूयार्क, अमरीका (www.dos.ny.gov) की वेबसाइट से किया जा सकता है। 2017-20 (अक्टूबर 2019 तक) की अवधि के लिए 'प्रिंट प्रोडक्शन' शीर्ष के तहत आईटीओ, न्यूयॉर्क द्वारा अधिकांश भुगतान की गई कंपनियों की साख के सत्यापन से निम्नलिखित का पता चला:

तालिका 8.1: उन कंपनियों का विवरण जिन्हें प्रिंट प्रोडक्शन के तहत भुगतान किया गया था

क्र. सं.	सत्व का नाम	डीओएस आईडी#	प्रारंभिक डीओएस दाखिल करने की तारीख	डीओएस प्रक्रिया के लिए नाम और पता[3]
1	दि साऊथ एशियन मीडिया एण्ड प्रिंटिंग एलएलसी	3844834	13.08.09	मुकेश कुमार, 4249 कोल्डन स्ट्रीट अपार्टमेंट, 5टी फ्लशिंग, न्यूयॉर्क, 11355
2	एप्पल ग्राफिक्स इंक	5479469	22.01.19	मुकेश कुमार, 110-56, 63वां ड्राइव फ्लोर 2, फॉरेस्ट हिल्स, न्यूयॉर्क, 11375
3	लैक्स ग्राफिक्स एंड प्रिंट्स इंक	5479533	22.01.19	मुकेश कुमार, 110-56, 63वां ड्राइव फ्लोर 2, फॉरेस्ट हिल्स, न्यूयॉर्क, 11375
4	एलएस क्राफ्ट इंक	5297216	05.03.18	मुकेश कुमार, 9560 क्वींस बुलेवार्ड # 105 रेगो पार्क, न्यूयॉर्क, 11374
5	ओवीआई इम्प्रिंट इंक	5157849	20.06.17	मुकेश कुमार, 101-22 क्वींस बुलेवार्ड, फॉरेस्ट हिल्स, न्यूयॉर्क, 11374
6	एम ग्राफिक्स एण्ड प्रिंट इंक	5159419	22.06.17	मुकेश कुमार, 101-22 क्वींस बुलेवार्ड फॉरेस्ट हिल्स, न्यूयॉर्क, 11374
7	बूमरैंग /बूमरैंग टेक्नोलॉजीज इंक	4776884	18.06.15	मुकेश कुमार, 6574 सॉन्डर्स स्ट्रीट अपार्टमेंट 6एच, रेगो पार्क, न्यूयॉर्क, 11374
8	एमकेएनवाई ट्रेडर्स इंक*.	4780757	25.06.15	6574 सॉन्डर्स स्ट्रीट अपार्टमेंट 6एच, रेगो पार्क, न्यूयॉर्क, 11374
9	प्रिन्टर्स टैक इंक*.	4888189	29.01.16	6574 सॉन्डर्स स्ट्रीट अपार्टमेंट 6एच, रेगो पार्क, न्यूयॉर्क, 11374

** दोनों कंपनियां बुमरैंग टेक्नोलॉजीज इंक के ही स्थान से काम कर रही हैं।*

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि क्रम संख्या 1 से 7 तक सूचीबद्ध कंपनियों का प्रबंधन/संचालन एक ही व्यक्ति द्वारा किया गया था, जबकि क्रम संख्या 7 से 9 तक सूचीबद्ध कंपनियों में एक ही डीओएस प्रोसेस पता था और स्पष्टत यह एक ही व्यक्ति द्वारा प्रबंधित/संचालित था। प्रिंट प्रोडक्शन और अन्य योजनाओं के तहत उपर्युक्त नौ

[3] ***डीओएस प्रक्रिया - वह पता जिस पर डीओएस सत्व की ओर से प्रक्रिया स्वीकार किए जाने पर मेल करेगा***

कंपनियों को आईटीओ, न्यूयॉर्क द्वारा किए गए भुगतान के आगे विश्लेषण से निम्नलिखित का पता चला:

तालिका 8.2: प्रिंट प्रोडक्शन के तहत उपरोक्त कंपनियों को किए गए भुगतान का विवरण

(राशि ₹ में)

वर्ष	प्रिंट प्रोडक्शन के तहत सभी कंपनियों को भुगतान	श्री मुकेश कुमार द्वारा प्रबंधित/संचालित नौ कंपनियों/निगमों को किए गए भुगतान		
		प्रिंट प्रोडक्शन के तहत	प्रिंट प्रोडक्शन के अलावा अन्य योजनाओं के तहत	सभी योजनाओं के तहत
2017-18	37,12,294.24	37,12,294.24	9,25,672.83	46,37,967.07
2018-19	86,66,186.02	76,20,624.29	26,60,301.08	1,02,80,925.36
2019-20*	81,43,240.30	65,35,883.97	6,42,833.91	71,78,717.88
कुल	**2,05,21,720.56**	**1,78,68,802.50**	**42,28,807.82**	**2,20,97,610.31**

(*अक्टूबर 2019 तक)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि आईटीओ, न्यूयॉर्क ने "प्रिंट प्रोडक्शन हेड" के तहत 2017-20 की अवधि (अक्टूबर 2019 तक) के लिए ₹2.05 करोड़ का खर्च किया, जिसमें से 87 *प्रतिशत* (₹1.79 करोड़) भुगतान नौ कंपनियों को किए गए, जो एक ही व्यक्ति द्वारा प्रबंधित/ संचालित थी। इसके अलावा, अन्य शीर्षों (जैसे संयुक्त प्रचार,अन्य प्रचार उपाय, प्रत्यक्ष विपणन और रोड शो) के तहत इन कंपनियों को ₹0.42 करोड़ की राशि का भुगतान भी किया गया था।

- वर्ष 2019-20 में 22 में से छ: अधिप्राप्ति मामलों में, वर्ष 2018-19 में 20 में से सात मामले में और वर्ष 2017-18 में 20 में से छ: मामले में, तीन में से दो उद्धरण विभिन्न कंपनियों के थे जो एक ही व्यक्ति द्वारा प्रबंधित/ संचालित थी और 2017-18 में ऐसे एक अधिप्राप्ति मामले में यह देखा गया था कि सभी तीन उद्धरण उनके द्वारा प्रबंधित/ संचालित कंपनियों से प्राप्त किए गए थे। दो कंपनियों, अर्थात सनी ग्राफिक्स एंड इम्प्रिंट्स इंक और आर.बी. इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स एंड ट्रेडर्स से उद्रण प्राप्त हुए थे, इस बात की प्रमाणिकता डीओएस वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं थी और इस तरह उनका सत्यापन नहीं किया जा सका। इसलिए इन उद्धरणों की प्रामाणिकता संदिग्ध थी।

इस प्रकार, आईटीओ, न्यूयार्क ने प्रिंट प्रोडक्शन योजना के तहत प्रचार मदों की अधिप्राप्ति में उचित सतर्कता नहीं बरती, जिसके परिणामस्वरूप भारत पर्यटन को बढ़ावा देने से संबंधित मदों की अधिप्राप्ति में पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता की कमी हो गई।

इंगित किए जाने पर, पर्यटन मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2021) कि:

(i) मौजूदा प्रचलन के अनुसार आईटीओ, न्यूयॉर्क ने प्रचार मदों की अधिप्राप्ति के लिए खरीद समिति का गठन करने का प्रयास किया। तथापि, बाजार मुल्यांकन करने के लिए एक बाहरी अधिकारी/सदस्य की अनुपलब्धता के कारण किसी समिति के एक साथ आने और समयबद्ध तरीके से बाजार मूल्यांकन करने के लिए इंतजार करना हमेशा संभव नहीं था। इसके अलावा, स्थानीय खरीद समिति के गठन के लिए व्यावहारिक कठिनाई के कारण, कार्यालय ने उचित और प्रतिस्पर्धी दर प्राप्त करने के लिए विभिन्न विक्रेताओं से उद्धरण प्राप्त करने को प्राथमिकता दी।

(ii) आईटीओ, न्यूयार्क ने बाजार सर्वेक्षण के माध्यम से विभिन्न विक्रेताओं/संपर्क व्यक्तियों/मालिकों से संपर्क किया। कार्यालय ने यह भी सुनिश्चित किया कि सभी विक्रेता सक्रिय थे और उनके पास अमेरिकी सरकार के मानदंडों के अनुसार अलग-अलग कर आईडी भी थी। प्रदत्त पतों पर विक्रेताओं से डाक/ईमेल द्वारा उद्धरण मांगे गए थे और सबसे कम उद्धृत राशि पर, वस्तुओं की अधिप्राप्ति की गई थी और कार्यालय स्टॉक रजिस्टर में इनकोड किया गया था।

(iii) आईटीओ, न्यूयॉर्क ने उल्लिखित कंपनियों की कर आईडी के संबंध में डब्ल्यू9 फॉर्म[4] अग्रेषित किए थे। इसके अलावा, जहां तक डीओएस के साथ कंपनियों की प्रमाणिकता (मालिक का नाम और कंपनी का पता, आदि) का संबंध है; आईटीओ, न्यूयार्क ने सभी कंपनियों से अनुरोध किया था कि वे डीओएस न्यूयार्क के साथ पंजीकृत अपनी कंपनी/एजेंसी के स्वामित्व से संबंधित अतिरिक्त दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करें जो अभी भी उक्त कंपनियों से प्रतीक्षित थे क्योंकि इनमें से अधिकांश कोविड-19 के कारण काम नहीं कर रहे थे और इनकी प्राप्ति होने पर अग्रेषित किया जाएगा।

(iv) लेखापरीक्षा की अभियुक्ति को अनुपालन के लिए नोट किया गया है और आईटीओ, न्यूयार्क को सुझाव दिया जाएगा कि वे किसी भी कार्य को प्रदान करने से पहले कंपनियों/एजेंसियों की प्रमाणिकता को सत्यापित करें और सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों के अनुसार भविष्य में एक अधिप्राप्ति समिति का गठन करें।

---

[4] ***डब्ल्यू9 फॉर्म का उपयोग उस व्यक्ति को सही करदाता पहचान संख्या (टिन) प्रदान करने के लिए किया जाता है जिसे अमेरीकी सरकार की आंतरिक राजस्व सेवा के साथ सूचना रिटर्न दाखिल करना होता है।***

(v) जहां तक मेसर्स बुमरैंग टेक्नोलॉजीज इंक/बुमरैंग और मेसर्स प्रिंटर्स टेक इंक का संबंध है, कंपनियों के मालिक द्वारा आईटीओ, न्यूयॉर्क को यह स्पष्ट किया गया है कि दोनों कंपनियां उसके स्वामित्व में हैं और वर्तमान में एक ही स्थान (1351, जेनेसीस एसटी, अपार्टमैंट 03, यूटिका, एनवाई 13501) पर काम कर रही हैं। उक्त कंपनियों ने सूचित किया कि कंपनियों के बारे में डीओएस जानकारी शायद अद्यतित नहीं है और सत्यापन पर इसकी जांच की जाएगी और सूचित किया जाएगा।

मंत्रालय का उत्तर निम्नलिखित आधारों पर तर्कसंगत नहीं है:

(i) लेखापरीक्षा करते समय, कोई भी अभिलेख यह प्रमाणित नहीं कर सका कि कंपनियों से उद्धरण वास्तव में कार्यालय में डाक या ईमेल के माध्यम से प्राप्त किए गए। उद्धरण का विवरण/दर्ज डायरी कार्यालय के किसी भी अभिलेख/रजिस्टर में नहीं पाई गई। आईटीओ, न्यूयॉर्क भी अपनी प्रतिक्रिया के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहा।

(ii) जहां तक खरीद समिति के गठन में आ रही बाधाओं का संबंध है, कोई अभिलेख यह पुष्टि नहीं कर सके कि कार्यालय ने खरीद समिति के गठन की पहल की थी और उसे उल्लिखित बाधाओं का सामना करना पड़ा था। लेखापरीक्षा को इस तर्क के समर्थन में कोई दस्तावेज नहीं मिला कि उद्धरण की संवीक्षा करते समय आईटीओ, न्यूयार्क ने यह सुनिश्चित किया कि सभी विक्रेताओं/कंपनियों के पास अमेरिकी सरकार के मानदंडों के अनुसार उनकी अलग-अलग कर आईडी है और न ही लेखापरीक्षा को दिए गए अधिकांश बीजकों/ उद्धरणों में उल्लिखित कंपनियों की कर आईडी थी।

(iii) डब्ल्यू9 फॉर्म, जो लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद इस दावे के समर्थन में प्रस्तुत किए गए थे, कि कंपनियां विभिन्न कर आईडी वाली विभिन्न संस्थाएं थीं, इस तथ्य से इंकार नहीं कर सकते कि इन कंपनियों का प्रबंधन/संचालन उसी व्यक्ति द्वारा किया गया था, जिसका नाम अभी भी इन कंपनियों के प्रति डीओएस वेबसाइट पर उल्लेखित था। यह इन सभी कंपनियों में एक ही व्यक्ति के सामान्य संबंध/हित को इंगित करता है, जिसने सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के तहत आवश्यक अधिप्राप्ति प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धी पहलू की भावना को कम किया। कंपनियों के डब्ल्यू9 फार्मों में उल्लिखित पते भी डीओएस की वेबसाइट पर दर्शाये गए पतों के अनुरूप नहीं थे।

इस प्रकार, आईटीओ, न्यूयॉर्क खरीद समिति का गठन करने और निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से उद्धरण आमंत्रित करने में विफल रहा। सभी विक्रेता कंपनियों में एक ही व्यक्ति का सामान्य जुड़ाव अधिप्राप्ति में प्रतिस्पर्धा की कमी को इंगित करता है। मंत्रालय/आईटीओ, न्यूयार्क डीओएस वेबसाइट पर उपलब्ध प्रमाणिकता से संबंधित सहायक दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं करा सका। इसलिए, आईटीओ, न्यूयार्क में भारत पर्यटन की प्रचार गतिविधियों के लिए प्रिंट प्रोडक्शन के अंतर्गत आने वाली मदों की अधिप्राप्ति प्रक्रिया में सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ और पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता के सिद्धांतों को हानि पहुंची, जिनके अभाव में खरीदी गई वस्तुओं की कीमत का गुणवत्ता आश्वासन और औचित्य प्रमाणित नहीं किया जा सका।

(आर. जी. विश्वनाथन)
उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
(वाणिज्यिक) और अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड

नई दिल्ली
दिनाक: 10 दिसम्बर 2021

प्रतिहस्ताक्षरित

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनाक: 10 दिसम्बर 2021